

कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना, पटना

पत्रांक १५४८

दिनांक: २९.०५.२०१८

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक

एम.एस. मेमोरियल एकाडमी, रुकनपुरा, पटना।

**विषय:** बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

**महाशय / महाशाय,**

आपके आवेदन—पत्र और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करवाये गए अभिलेख के आलोक में आपके विद्यालय एम.एस.स० मेमोरियल एकाडमी, रुकनपुरा, पटना को 01 कक्षा से 08 कक्षा तक संचालन हेतु तीन वर्षों दिनांक 29.05.2018 से 28.05.2021 तक अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न—शर्तों के अधीन होगी :


1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं बंदित समुदाय के बच्चों का करेंगे तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगे, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्घृत बच्चों के मामले में एम.एस. मेमोरियल एकाडमी स्कूल को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की आएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगम अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उभ्र प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेंगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:
  - i. किसी भी नामांकिन बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और नहीं किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
  - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शरीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मासिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
  - iii. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - iv. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाणपत्र प्रदान किया जायगा।
  - v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

*M. S. Memorial Academy  
Ruknupura Bailey Road, Patna  
29/5/18*


*Manager*  
**M. S. MEMORIAL ACADEMY**  
Ruknupura Bailey Road, Patna

*R*  
**M. S. MEMORIAL ACADEMY**  
Ruknupura Bailey Road, Patna

- vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपचारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने की समय दर्तेमान में कार्यरत दौसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।  
 vii. शिक्षक अधिनियम भी धारा 24 की उपचारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों की दायित्व का नियंत्रण करेंगे।  
 viii. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिरिदि में सलग्न नहीं होंगे।  
 ix. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेंगे।  
 x. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।  
 xi. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत्—  
 विद्यालय—परिसर का क्षेत्रफल : 8296 वर्गमीटर, कुल निर्मित क्षेत्र—7048 वर्गमीटर,  
 खेल के मैदान का क्षेत्र : उपलब्ध वर्गक्षणों की कुल संख्या—16  
 प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भैंडार कक्ष—1 बालक तथा बालिकाओं के लिए  
 अलग—अलग शौचालय : बालक—18 बालिका—18  
 पेशजल की सुविधा : उपलब्ध  
 मध्याह्न भोजन की लिए रसोई—घर : उपलब्ध बाधारहित पहुँच : उपलब्ध  
 शिक्षण अधिग्रा / सामग्री / खेल—कुद उपकरण / पुस्तकालय : उपलब्ध  
 11. कोई भी अप्रस्तीकृत वर्गक्षण विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।  
 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।  
 13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।  
 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघा अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।  
 15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रामणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलाके उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखाविवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा को भेजी जाएगी।  
 16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या PAT/RTE/PVT/SCH/571 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।  
 17. निदेशक, प्राधिकारी शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा के द्वारा समय—समय पर मौग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की शर्तों के लागातार रूप से पूरा करने की सूनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।  
 18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

  
**M S MEMORIAL ACADEMY**  
 Rukunpura Bailey Road, Patna

  
**M.S. MEMORIAL ACADEMY**  
 Rukunpura Bailey Road, Patna

दिश्वासभाजन  
  
 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
 प्रा.शि. एवं सर्व शिक्षा अभियान  
 पटना।